हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना

27 July 2024

हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा प्रदेश के छोटे दुकानदारों के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है "**Himachal Laghu Dukandar Kalyan Yojana** "। इसके जरिए छोटे व्यापारियों को सहायता मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार दुकानदारों को लोन प्रदान करके उनके व्यापार को बढ़ाने में मदद करेगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और व्यापार में विकास हो सकेगा। हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना अंतर्गत, व्यापारियों को ₹50000 तक का लोन मिलेगा, जिसमें ब्याज भी शामिल होगा।

अगर आप हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और आप छोटे व्यापार करते हैं, तो आप इस योजना के तहत लोन प्राप्त करके इसका लाभ उठा सकते हैं।इससे आपके व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह योजना कौन-कौन से लोगों के लिए है और उन्हें कैसे इसका लाभ मिलेगा, यह सब जानकारी आपको इस आर्टिकल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जायेगी ।

Table of Contents

- योजना का परिचय:
- योजना का उद्देश्य:
- योजना के संबंध मैं अधिक जानकारी
- योजना के लाभ:
- Himachal Pradesh Laghu Dukandar Kalyan Yojana (हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023) के पात्र लाभार्थी
- योजना के लिए पात्रता:
- Important Documents (जरूरी दस्तावेज):
- How to apply for scheme(योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
- संपर्क करने का विवरण:
- FAQs
  - Q1.Laghu Dukandar Kalyan Yojana के लिए कौन पात्र होगा?
  - Q2.हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023 क्या है?
  - Q3.लघु दुकानदार कल्याण योजना की शुरुआत किसने की है?

योजना का परिचय:

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2023 के बजट सत्र के दौरान छोटे व्यापारियों के लिए लघु हिमाचल दुकानदार कल्याण योजना 2023 की शुरुआत की है। इस योजना से हिमाचल प्रदेश सरकार छोटे व्यापारियों को मदद करने के लिए पैसों की मदद करेगी। योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के छोटे व्यापारी और दुकानदारों को बैंकों से 50,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले ऋण की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी

लोन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी और वे इस पैसे का उपयोग अपने व्यापार को बढ़ाने में कर सकेंगे। ये लोन पर ब्याज के आधा प्रतिशत का ब्याज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के कई छोटे व्यापारी आत्मनिर्भर और मजबूत बन सकेंगे।हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार ऋण योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वाले, मोची, नाई, चाय वाले जैसे छोटे व्यापारी और दुकानदार शामिल होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि योजना से 75000 से अधिक व्यापारी लाभ प्राप्त करेंगे।

योजना का उद्देश्य:

हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023 को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि वे लोग जो छोटे व्यापार करते हैं, उनकी मदद करना। इस योजना के तहत, उन्हें ₹50,000 तक का लोन उपलब्ध कराना है ताकि दुकानदार अपने व्यापार का विस्तार कर सके जिससे वे अपने व्यापार को बढ़ा सकें। इससे उनकी पैसे की समस्या दूर होगी और उनका व्यापार बढ़ेगा।

योजना का नाम	हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना
किसके द्वारा शुरू की गई है	मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा
लाभार्थी	राज्य के छोटे व्यापारी एवं दुकानदार

घोषणा कब हुई	वर्ष 2023 का बजट भाषण के दौरान
उद्देश्य	व्यापार का विकास करने के लिए
लोन की राशि	₹50,000
राज्य	हिमाचल प्रदेश
साल	2023
आवेदन प्रक्रिया	ऑनलाइन/ऑफलाइन
अधिकारिक वेबसाइट	जल्द लॉन्च होगी

इसके साथ ही, यह योजना हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास को भी मदद करेगी। छोटे व्यापारी और दुकानदार आसानी से इस योजना के तहत ₹50,000 का पैसा प्राप्त कर सकेंगे। इस पैसे का 50% ब्याज सरकार देगी, ताकि उनको ज्यादा पैसे वापस करने की चिंता नहीं हो।

हिमाचल प्रदेश की सरकार चाहती है कि व्यापारियों को और भी मजबूत बनाया जाए ताकि उनका व्यापार बढ़ सके और वो और भी सफल हो सकें। इससे उनकी जीवन में सुधार होगा और पूरे प्रदेश का आर्थिक विकास होगा।

योजना के संबंध में अधिक जानकारी

योजना के लाभ:

Himachal Pradesh Laghu Dukandar Kalyan Yojana 2023 में लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-

1. 50,000/- रूपये तक का ऋण लेने पर लगने वाले ब्याज पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
2. लिए गए ऋण के ब्याज पर 50 प्रतिशत ब्याज की राशि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
3. बचे हुवे 50 प्रतिशत ब्याज की राशि को लाभार्थी को स्वयं से अदा करना होगा।

Himachal Pradesh Laghu Dukandar Kalyan Yojana (हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023) के पात्र लाभार्थी

इस योजना के लिए निम्नलिखित छोटे व लघु दुकानदार में ब्याज पर अनुदान पाने के पात्र होंगे :-

- दर्ज़ी।
- नाई।
- चाय की दुकान लगाने वाले।
- रेहड़ी - फड़ी वाले।
- किराना/ परचून की दुकान वाले।
- व अन्य छोटे दुकानदार।

योजना के लिए पात्रता:

- छोटे दुकानदार या व्यापारी कैसे एक योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदनकर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
- आवेदक की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर होनी चाहिए।
- आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और उनका आधार कार्ड उससे लिंक होना चाहिए।
- तब वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

Important Documents (जरूरी दस्तावेज):

- 1. आधार कार्ड 2. निवास प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र 4.बैंक खाता विवरण 5.पासपोर्ट साइज फोटो 6. मोबाइल नंबर 7. आयु प्रमाण पत्र
- 8. दुकान के जरूरी दस्तावेज

How to apply for scheme(योजना के लिए आवेदन कैसे करें:

- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर ले सकता है।
- मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का आवेदन पत्र लाभार्थी निम्नलिखित कार्यालयों से प्राप्त कर सकता है :-
    - ग्राम सभा।
    - ग्राम पंचायत।
    - पंचायती राज विभाग जिला कार्यालय।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- मांगे गए समस्त दस्तावेजों को हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- उसके पश्चात आवेदन पत्र को दस्तावेज़ों के साथ उसी कार्यालय में जमा करा देना है जहाँ से आवेदन पत्र लिया गया था।
- पंचायती राज विभाग के अधिकारीयों द्वारा आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जाएगी।
- जांच के पश्चात पात्र पाए गए लाभार्थियों को हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत लिए गए ऋण की राशि के ब्याज का भुगतान नियमित रूप से कर दिया जायेगा।

संपर्क करने का विवरण:

- हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    - 0177-2623805. 0177-2623814. 0177-2623820.
- हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- panchayatiraj-hp@gov.in. पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेशब्लॉक नंबर - 27, एस डी ए कॉम्प्लेक्स,कसुम्पटी, शिमला -9,हिमाचल प्रदेश।

FAQs

Q1.Laghu Dukandar Kalyan Yojana के लिए कौन पात्र होगा?

उत्तर:- लघु दुकानदार कल्याण योजना के लिए छोटे व्यापारी जैसे रेहड़ी पटरी वाले, मोची, नाई, चाय वाले आदि व्यापारी योजना के लिए पात्र होंगे।

Q2.हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023 क्या है?

उत्तर:- हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के लघु दुकानदार के कल्याण के लिए हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना की शुरुआत की है। जिसके द्वारा सभी छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को व्यापार को बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा।

Q3.लघु दुकानदार कल्याण योजना की शुरुआत किसने की है?

उत्तर:- इस योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पेश किया है।

नोट:- इस लेख को अलग अलग माध्यम से लिया गया है तथा पाठकों को सही सूचना प्रदान करने की हर सम्भव प्रयास किया गया है लेकिन फिर भी अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर इसके संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।